न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 75/2020

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. प्रवर सिडाना पत्र श्री गुरबक्श राय जाति अरोड़ा निवासी 89 श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम लाल जाति नाई निवासी 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

— वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर
2. मनीराम पुत्र श्री राम लाल जाति नाई निवासी 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. शाखा प्रबन्धक, एच डी एफ सी बैंक, शाखा श्रीगंगानगर

— प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा	(वादीगण)
	अधिवक्ता श्री विनोद कुमार भाटी	(प्रतिवादी–2)
	पैरोकार राज	(प्रति.–1)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 22.02.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 वाके चक 22 एम एल के खाता संख्या 84/65 के मुरब्बा नम्बर 47 की 6.325 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से संयुक्त खाता में वादी संख्या 1 प्रवर सिडाना के नाम से 3163/6325 हिस्सा यानि 3.163 हैक्टेयर कृषि भूमि, वादी संख्या 2 राजेन्द्र कमार के नाम से 1581/6325 हिस्सा यानि 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा पतिवादी संख्या 2 मनी राम के नाम से 1581/6325 हिस्सा यानि 1.581 है। कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। इसी प्रकार मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2073–2076 वाके चक 22 एम एल के खाता संख्या 83/84 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 8/2 की 0.127 है0, व किला नम्बर 9 ता 25 (प्रत्येक बीघा में 0.253 है।) कुल 4.428 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 2 राजेन्द्र कुमार के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 ने अपनी काश्त की सहुलियत को देखते हुए एवं रकबा का एकीकरण करने के लिए अपनी उक्त भूमि में से 3.163–3.163 है0 भूमि का अपनी आपसी सहमति से घरेलू मौखिक तबादला किया हुआ है, उक्त घरेलू मौखिक तबादला के अनुसार वर्तमान में वादी संख्या 1 प्रवर सिडाना के नाम से दर्ज भूमि चक 22 एम एल के खाता संख्या 84/65 के मुरब्बा नम्बर 47 की 3.163 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 2 राजेन्द्र कुमार काविज चला आ रहा है। (इस खाता में वादी संख्या 2 राजेन्द्र कुमार के पास अपने नाम की 1.581 है0 भूमि भी है)। इसी प्रकार वादी संख्या 2 राजेन्द्र कुमार के नाम से दर्ज भूमि चक 22 एम एल के खाता संख्या 83/64 के मुरब्बा नम्बर 58 की कुल 4.420 हैक्टेयर भूमि में से किला नम्बर 11 में से 0.1270 हैक. दक्षिणी भाग, किला नम्बर 12 में से 0.1265 हैक. दक्षिणी भाग, किला नम्बर 13 में से 0.1265 हैक. दक्षिणी भाग, किला नम्बर 14 में से 0.1265 हैक. दक्षिणी भाग, किला नम्बर 15 में से 0.1265 हैक. दक्षिणी भाग व किला नम्बर 16 से 25 (प्रत्येक बीघा में 0.253 है0) कुल 3.163 हैक्टेयर कृषि भूमि पर वादी संख्या 1 प्रवर सिडाना काविज चला आ रहा है। मौका पर वादी संख्या 1 व 2 की फसले अपने अपने कब्जा काश्त की उक्त भूमि पर खड़ी हैं। वादी संख्या 1 व 2 ने सक्षम अधिकारी तहसीलदार श्रीगंगानगर (प्रतिवादी संख्या 1) के समक्ष उक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

तबादला करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, मगर उनके कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बावजद भी उनके द्वारा वादीगण के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की तथा अन्त में दिनांक 10.08.2020 को वादीगण से यह कहकर कार्यवाही करने से मना कर दिया कि तहसील ऑनलाईन होने के पश्चात तकनीकी कारणों की वजह से कम्पयूटर में विनियम का इन्द्राज नहीं हो सकता, केवल न्यायालय आदेश/डिक्री से ही कम्पयूटर में अंकन किया जा सकता है, इस कारण यह वाद पत्र लाना आवश्यक हो गया है तथा यही वाद कारण है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र निम्नानुसार डिक्री किया जावे:-

यह कि चक 22 एम एल के खाता संख्या 83/64 के मुरब्बा नम्बर 58 की कुल 4.428 हैक्टेयर भूमि जो वादी संख्या 2 राजेन्द्र कुमार के नाम से दर्ज है, में से किला नम्बर 11 में से 0.1270 हैक दक्षिणी भाग, किला नम्बर 12 में से 0.1265 है। दक्षिणी भाग, किला नम्बर 13 में से 0.1265 हैक दक्षिणी भाग, किला नम्बर 14 में से 0. 1265 हैक दक्षिणी भाग, किला नम्बर 15 में से 0.1265 हैक दक्षिणी भाग व किला नम्बर 16 ता 25 (प्रत्येक बीघा में 0.253 है0) कुल 3.163 हैक. कृषि भूमि का वादी संख्या 1 प्रवर सिडाना को खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे। वाके चक 22 एम एल के खाता संख्या 84/65 के मुरब्बा नम्बर 47 की 6.325 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से संयुक्त खाता में वादी संख्या 1 प्रवर सिडाना के नाम से दर्ज 3163/6325 हिस्सा यानि 3.163 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 18.11.2020 को आपसी सहमति के आधार पर ईकबाल जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की मद संख्या 3 में लिखी गई कृषि भूमि 4.428 हैक्टर वादी संख्या 2 के नाम से है इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 का इस भूमि से कोई सम्बंध नहीं है अगर वादी संख्या 2 उक्त अपने नाम से भूमि का तबादला जिस पर पर की अब वादी संख्या 1 कई वर्षो से काबिज काश्त है और अब तबादला करना चाहता है तो करे मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 4 स्वीकार है पिछले कुछ वर्षों से वादी संख्या 1 की कृषि भूमि 3.163 हैक्टर पर वादी संख्या 2 का तथा वादी संख्या 2 की कृ षि भूमि पर वादी संख्या 1 ने 3.163 हैक्टर पर मौखिक तबादला से आपसी सहमति से कब्जा काश्त कर रखा है। अतःजवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 से सम्बंधित है तथा मुझे प्रतिवादी संख्या 2 को सहकाश्तकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है अगर उक्त वाद न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी संख्या 2 को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आपसी सहमति से तबादलानामा पेश किया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 ग्राम 22 एमएल, पटवार हल्का गणेशगढ भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ खाता संख्या 84/65, जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 ग्राम 22 एमएल, पटवार हल्का गणेशगढ भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ खाता संख्या 83/64 के अवलोकन से यह साबित है कि वादी एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत आराजी का लिखित में तबादला किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि तबादलाधीन भूमि की किस्म, क्षेत्रफल एवं मूल्य समान है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-::आदेश ::-

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 2 राजेन्द्र कुमार के नाम से दर्ज कृषि भूमि चक 22 एम एल के खाता संख्या 83/64 के मुरब्बा नम्बर 58 की कुल 4.428 हैक्टेयर भूमि में से किला नम्बर 11 में से 0.1270 हैक दक्षिणी भाग, किला नम्बर 12 में से 0.1265 हैक. दक्षिणी भाग, किला नम्बर 13 में से 0.1265 हैक दक्षिणी भाग, किला नम्बर

Scanned with CamScanner

14 में से 0.1265 हैक दक्षिणी भाग, किला नम्बर 15 में से 0.1265 हैक दक्षिणी भाग व किला नम्बर 16 ता 25 (प्रत्येक बीघा में 0.253 है0) कुल 3.163 हैक. कृषि भूमि का वादी संख्या 1 प्रवर सिडाना को खातेदार घोषित किया जाता है एवम् वाके चक 22 एम एल के खाता संख्या 84/65 के मुरब्बा नम्बर 47 की 6.325 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से संयुक्त खाता में वादी संख्या 1 प्रवर सिडाना के नाम से दर्ज 3163/6325 हिस्सा यानि 3.163 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी संख्या 2 राजेन्द्र कुमार को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 22.02.2021 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner